भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †584

दिनांक 25.06.2019/4 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

दक्षिण-पंथी संगठनों पर रोक लगाने हेतु प्रस्ताव

†584. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य पुलिस के आतंक रोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा दायर आरोप के अनुसार, कुछ दक्षिण पंथी संगठन जैसे 'सनातन संस्था', 'हिन्दू जनजागृति' और अन्य छोटे संगठनों ने षड़यंत्र करते हुए देश की सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने का काम किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने हेतु ऐसे संगठनों पर रोक लगाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): यह विषय महाराष्ट्र पुलिस के आतंक-रोधी दस्ते (एटीएस) से संबंधित है। चूंकि, संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं, इसलिए उक्त विषय महाराष्ट्र सरकार से संबंधित है।

(ग): ऐसी कोई दरखास्त राज्य की ओर से या एजेंसियों की ओर से केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(घ): सवाल ही नहीं उठता है।

******